अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

जोधपुर विकास प्राधिकरण

शान्ति धारीवाल
माननीय मंत्री नगरीय विकास स्वायत्त शासन
व आवासन विभाग, राजस्थान सरकार

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना

RERA Reg. no. RAJ/P/2020/1330

आवेदन पुस्तिका

कुल आवासीय भूखण्ड - 1700
आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ तिथि - 15 जुलाई, 2021
आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा करवाने की अंतिम तिथि - 15 सितम्बर, 2021

आवेदन पत्र शुल्क
100/- रूपये मात्र

सरकार के जन घोषणा पत्र में पाक विस्थापितों के सर्वांगींण विकास का वादा किया है इसमें नागरिकता से जुड़ी समस्या व पुनर्वास का समाधान भी शामिल है । राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे इन पाक विस्थापितों में ज्यादातर समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं । जन घोषणा की क्रियान्विती हेतु पाक विस्थापितों का पुनर्वास करने की दिशा में विशेष कदम बढ़ाते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विनोबा भावे नगर आवासीय योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है ।

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना भारतीय नागरिकता प्राप्त पाक विस्थापित व्यक्ति को आवेदन करने हेतु प्रस्तुत है। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 1700 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किया जावेगा । विनोबा भावे नगर आवासीय योजना (ग्राम चौखा) की शर्ते, भूखण्डों की दर, भूखण्डों की साईज आदि बिन्दुओ का उल्लेख इस पुस्तिका में कर दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित

डॉ. राजेश शर्मा IAS	कमर उल जमान चौधरी IAS	हरभान मीणा RAS
अध्यक्ष	आयुक्त	सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण

अनुमोदित ले-आउट प्लान, विनोबा भावे नगर आवासीय योजना
खसरा सं. 28, ग्राम चौखा, जोधपुर

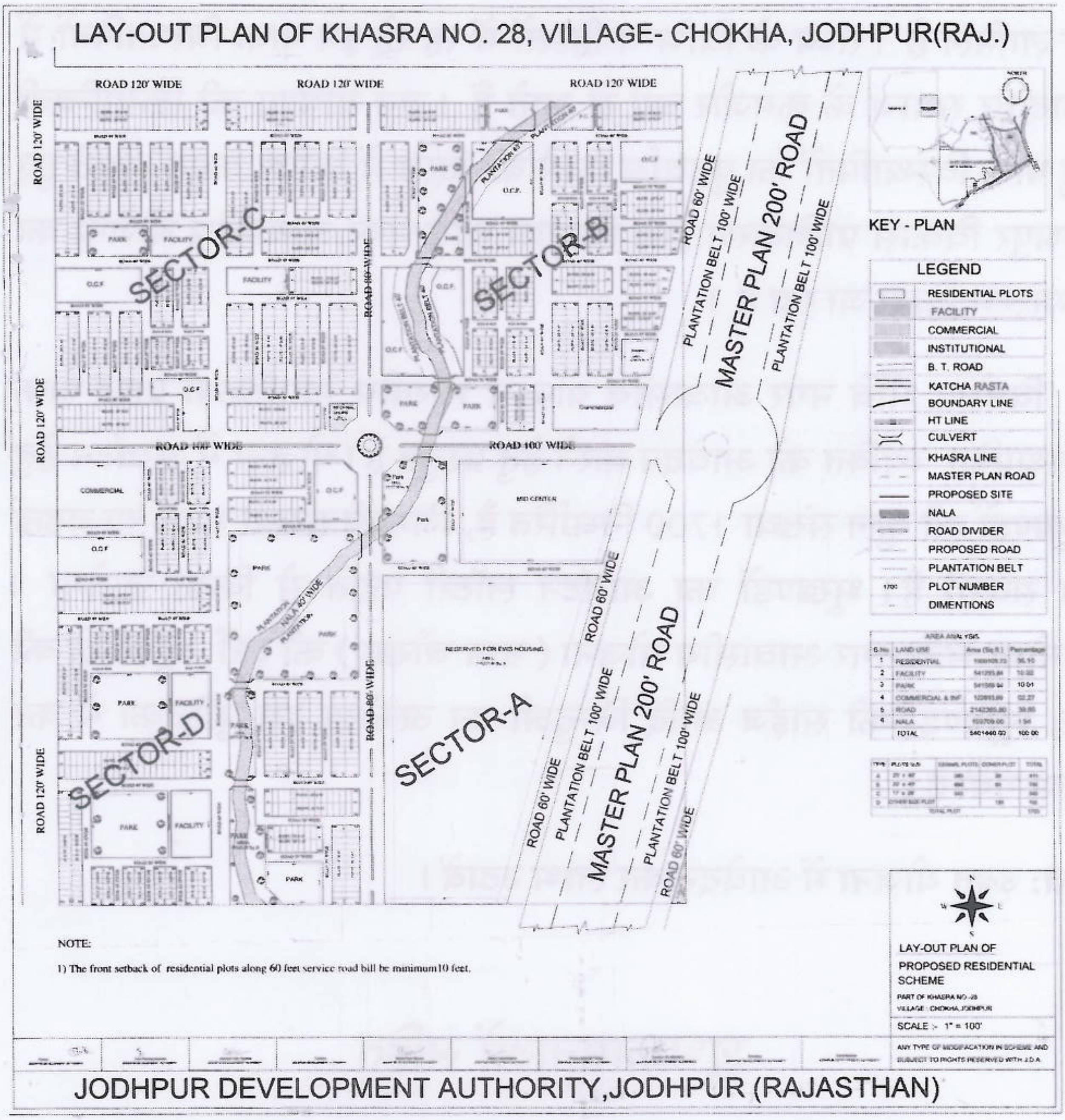

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना

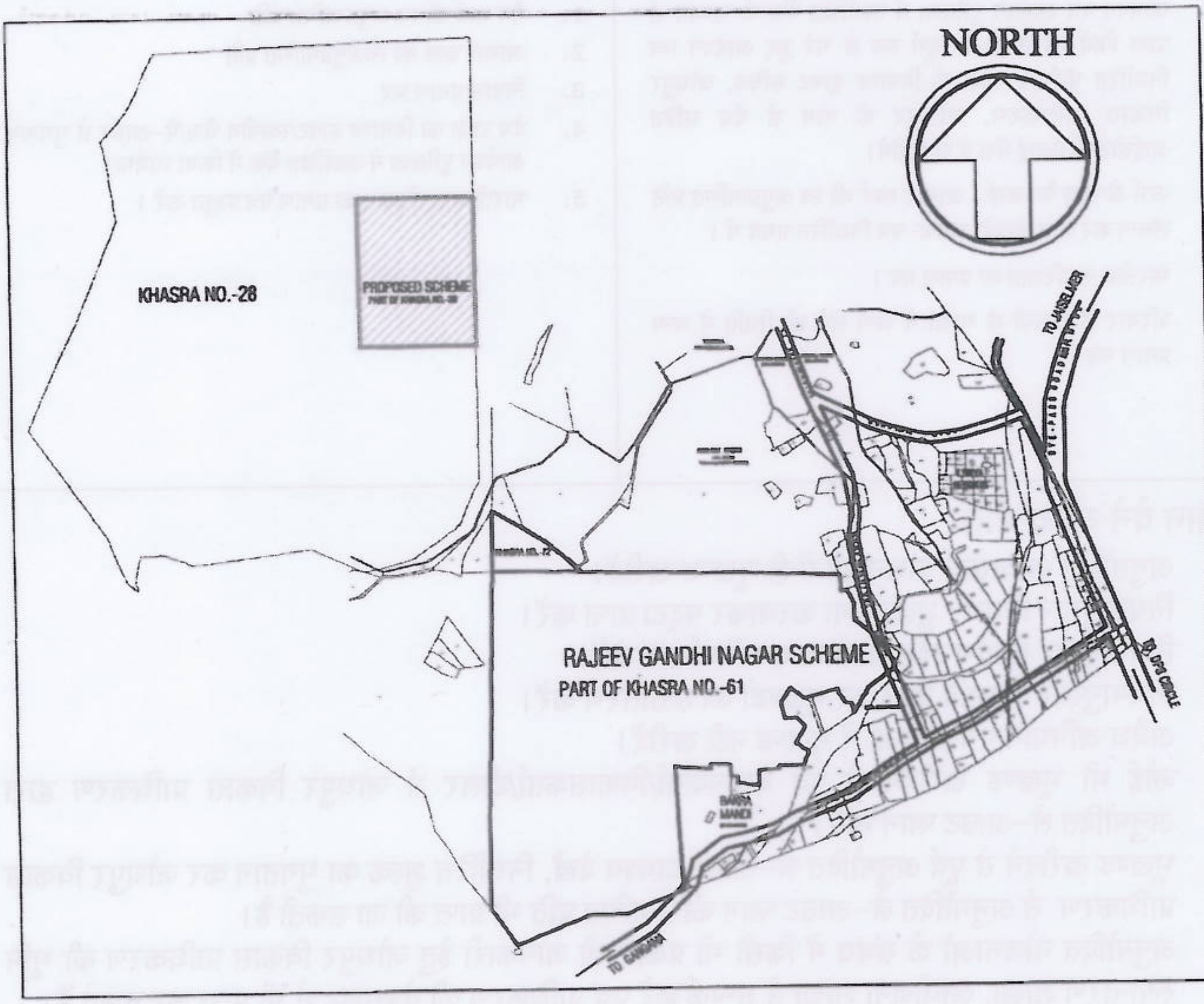

KEY - PLAN

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	लॉटरी के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज
1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित पंजीयन राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय सहित आईसीआईसीआई बैंक में जमा होंगे। 2. फार्म के साथ पैन कार्ड / आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति संलग्न कर जमा करावें। शपथ-पत्र निर्धारित प्रपत्र में । 3. भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र । 4. परिवार के सदस्यों के भारत में जन्म लेने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र ।	1. पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति 2. आधार कार्ड की स्वअनुप्रमाणित प्रति 3. निवास प्रमाण पत्र 4. देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/स्थानीय चैक/पै–आर्डर से भुगतान आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में किया जावेगा। 5. भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

ध्यान देने योग्य बातें

1. अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदें।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तांतरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओ में भूखण्ड नही खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता/विकासकर्ता/डीलर से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व अनुमोदित ले–आउट अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8. अनुमोदित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि रूपान्तरण शाखा, आयोजना शाखा से सम्पर्क करें एवं प्राधिकरण की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

अपने राजस्थान की संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एंव उसकी रक्षा करें

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur-rj@nic.in
www.jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2615372

1. प्रस्तावना

शौर्य, पराक्रम और बहुरंगी संस्कृति का धनी, राजस्थान का गौरव जोधपुर जहां सूर्य नगरी के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित हैं वही प्राचीनकाल से ही अपने अनुकरणीय नगर नियोजन के लिये भी ख्यात है। भुवन भास्कर जहां अपनी रश्मियों से सर्वप्रथम इस निराली नगरी को आलोकित करतें है, वही इस पावन भूमि के साथ इसका ऐतिहासिक गौरव भी इसके उजाले को बहुगुणित करता है। 21 वी शताब्दी में चहुँर्दिशी प्रगति के सोपान चढ कर जोधपुर ने विकास के कई आयाम स्थापित किये है। वर्तमान में शहर के आशातीत विस्तार के साथ ही बढ रही आवासीय सुविधाओं की जरूरत को साकार करने की दिशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विनोबा भावे नगर आवासीय योजना बनाई गई है जो नगर नियोजन की अति आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण होगी। राजस्थान सरकार के नियोजित एंव परिपूर्ण विकास तथा सब के लिए आवास की नीति के निर्देशो कें क्रम में योजना में पर्यावरण संरक्षण, जन सुविधाओं एवं वे पाक विस्थापित जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है उन व्यक्तियों को सस्ता भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रावधान किये गये है।

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना जोधपुर के राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 28 में स्थित है। योजना जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विनोबा भावे नगर आवासीय योजना में लोगो को नियोजित ढंग से बसाने के लिये आधुनिकतम सुविधाओं के विकास, रचनात्मक कार्यो हेतु स्थान एवं व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। उक्त योजना में आवासीय जल निकासी एंव सीवरेज की सुचारू व्यवस्था की गई है। योजना में विद्युत एवं पेयजल हेतु सुचारू व्यवस्था की गई है। पेयजल के रूप में नहरी स्वच्छ उपचारित पानी उपलब्ध होगा। उक्त योजना में आवासीय सुविधाओ के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नियमानुसार क्षेत्र में पार्क एंव पर्यावरण संरक्षण पार्क प्रस्तावित किये गये है। योजना में सड़क के साथ साथ वृक्षारोपण करते हुए हरियाली का पर्याप्त ध्यान रखा गया हैं । विश्वास है जोधपुर की ऐतिहासिक, सास्कृतिक, सामरिक, और रचनात्मक रूप से अब तक जो पहचान रही है उसमे सर्वथा नया अध्याय जोड़ने में यह योजना कारगर ही नहीं, कामयाब भी साबित होगी।

2. व्यापक सुविधा क्षेत्र /सामुदायिक सेवाएँ

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना में व्यापक सामुदायिक सुविधाएँ हेतु 54,01,440.00 (O.C.F./P.U.) वर्गमीटर भूमि क्षेत्र योजना में आरक्षित किया गया हैं, जिसमें जन सुविधाएँ विकसित की जानी प्रस्तावित है।

3. विनोबा भावे नगर आवासीय योजना मान चित्र में भू उपयोग क्षेत्रफल का विश्लेषण निम्नानुसार है

क्र.सं	विवरण	प्रतिशत
1.	आवासीय	36.10
2.	सुविधायें (O.C.F./P.U.)	10.02
3.	पार्क	10.01
4.	व्यवसायिक	02.27
5.	सड़के	39.66
6.	नाला	01.94
7.	कुलक्षेत्र	100.00

4. योजना में आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड

टाईप	भूखण्डों का आकार	आकार वर्ग मीटर	आकार वर्गगज	सामान्य भूखण्डों की संख्या	कार्नर भूखण्डों की संख्या
A	20 x 45	83.61	100.00	690	56
B	20 x 40	74.32	88.88	385	29
C	17 x 36	56.85	68.00	345	–
D	Other Size	–	–	–	195
			कुल भूखण्ड	1420	280

5. निर्धारित भूखण्डो का विवरण एंव भूखण्डो की देय कीमत निम्नानुसार है।

क्र. सं.	प्लाट की साईज व व.मी. से अधिक न हो	भूखण्ड टाईप	वसूली योग्य दर
1	60 वर्गमीटर तक	C	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत (2295.00 प्र.वर्गमी.)
2	61 से 90 वर्गमीटर तक	A,B	आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत (4589.00 प्र.वर्गमी.)
3	91 वर्गमीटर से 100 वर्गमीटर तक	D	आरक्षित मूल्य पर (9178.00 प्र.वर्गमी.)

6. योजना की आरक्षित दर

राजस्थान नगरीय विकास निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 6 के तहत योजना में भूखण्डों की आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

आवासीय :– 9178/– रू प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

7. लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन व्यवस्था

योजना में भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी की तिथी दस्तावेजों की जांच उपरांत पृथक से निर्धारित की जाकर राज्य सरकार के संस्थान एन.आई.सी द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली जायेगी व परिणाम जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर डाले जायेंगे।

8. भूखण्ड आवंटन के लिए पात्रता

1. सन्1965 से अब तक भारत आये भारतीय नागरिकता प्राप्त पाक विस्थापित जिनके पास भारत में किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्वयं के नाम भूमि अथवा आवास/भूखण्ड/फ्लैट नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाकर आवंटन के पश्चात् आवंटन से शेष/रिक्त भूखण्डों को आवंटन करते समय ऐसे परिवारों को जिन्होने पूर्व में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त किया है, उन परिवारों को छोड़ते हुए अन्य पाक विस्थापित परिवारों को आवासीय मकान/भूखण्ड आवंटन किय जायेगा ।

2.. विस्थापित परिवार को सामान्यतया उसी जिले में आवासीय भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा जिस जिले में उस विस्थापित परिवार के सदस्य वर्तमान में निवास कर रहे हैं।

3. यदि पाकिस्तान से विस्थापित परिवार के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले से भिन्न जिले में न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड का आवंटन चाहा जाता है तो उस स्थिति में परिवार के मुखिया को यह प्रमाण देना होगा कि वह भिन्न जिले में न्यास/प्राधिकरण क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष से लगातार निवास कर रहा हे और अपने परिवार का वहीं पर पालन–पोषण कर रहा है ।

4. पाक विस्थापित के ऐसे परिवार जिनके पास भूमि आवासीय भूखण्ड/फ्लैट नहीं है उनको प्राथमिकता दी जाकर आवंटन के पश्चात् आवंटन से शेष/रिक्त भूखण्डों को आवंटन करते समय ऐसे परिवार को जिन्हानें पूर्व में रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त किया है, उन परिवारों को छोड़ते हुए अन्य पाक विस्थापित परिवारों को भूखण्ड आवंटन किया जायेगा । केवल वही विस्थापित परिवार इस नीति के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड/मकान के लिए पात्र होगा जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में कोई आवासीय मकान/भूखण्ड/फ्लैट भारत के किसी भी ग्रामीण या किसी शहरी क्षेत्र में नहीं है।

5. विस्थापित परिवार के किसी सदस्य को यदि पूर्व में राज्य के किसी भी शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड आवंटित हो चुका हो या आवंटित भूखण्ड का विक्रय कर दिया गया हो तो उस परिवार के किसी सदस्य को इस नीति के तहत राज्य में किसी भी शहरी क्षेत्र में आवासीय भूखण्ड का आवंटन नहीं किया जायेगा।

6. परिवार के सदस्यों में परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी अथवा पति, उसके आश्रित पुत्र एवं पुत्रियाँ, उस पर आश्रित माता एवं पिता शामिल माने जायेंगे। पुत्र एवं पुत्रियों में वह पुत्र और पुत्री भी शामिल है जिसका जन्म माता–पिता के भारत में आने के बाद भारत में हुआ है। पुत्र अथवा पुत्री यदि शादीशुदा है और बालिग है तो उसे भिन्न परिवार का सदस्य माना जायेगा।

7. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

8. आवेदक का भारत में स्थित किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के के.वाई.सी. मानको का पालन किया है।

9. भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया

1. इस नीति के अंतर्गत आवासीय भूखण्ड का आवंटन पाकिस्तान से आये हिन्दू विस्थापित परिवार के मुखिया के नाम किया जायेगा । परिवार के मुखिया के द्वारा निर्धारित प्ररूप–1 में आवेदन पत्र संबंधित शहरी निकाय (न्यास/प्राधिकरण) के सचिव को प्रस्तुत करना होगा । ऐसे सभी आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा ।

2. विस्थापित परिवार के मुखिया को आवेदन पत्र में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण उनको भारतीय नागरिकता प्रदान किये जाने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी । भारत में जन्म लेने वाले सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र, जो सक्षम अधिकारी से जारी हो, की सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी । आवेदन पत्र के साथ परिवार के मुखिया को अपनी पहचान पत्र यथा मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड में कम से कम एक दस्तावेज की सत्यापित प्रति भी संलग्न करनी होगी । इस हेतु 1965 के पश्चात पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने एवं लॉटरी प्रक्रिया तक नागरिकता के संबंध में स्व–प्रमाणित प्रमाण–पत्र को माना जायेगा । परंतु आवंटन पत्र जारी करने से पूर्व नागरिकता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

3. विस्थापित परिवार की ओर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव के द्वारा विस्थापित परिवार के संबंध में मौके की स्थिति की जांच न्यास/प्राधिकरण के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से करवाई जायेगी । यदि मौके की स्थिति के अनुसार और भी विस्थापित परिवार निवास करते हुए पाये जाते है तो उनकी सूचना भी एकत्रित की जायेगी । मौके की स्थिति की जाँच रिपोर्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

4. मौके की स्थिति की जांच में विस्थापित परिवार एवं उनके सदस्यों के संबंध में यह जानकारी की जायेगी कि वर्तमान में विस्थापित परिवार कहां पर निवास कर रहा है, कब से निवास कर रहा है, परिवार के सदस्य पूर्व में कहां निवास कर रहे थे, उनका रोजगार कब से, कहां है, और क्या है,आदि । क्षेत्र में निवास कर उसके रिश्तेदारों की भी निवास संबंधी पूर्ण जानकारी एकत्र की जायेगी। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में अन्य विस्थापित परिवारों जिनके पास आवासीय भूखण्ड/ मकान नही है, यदि कोई हो, की भी जानकारी एकत्रित की जायेगी ।

5. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पांच दिवस के भीतर न्यास /प्राधिकरण सचिव के द्वारा आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले के जिला मजिस्ट्रेट/विदेशी पंजीकरण अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लिखित अनुरोध प्रेषित किया जायेगा । संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/विदेशी पंजीकरण अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट/वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर न्यास/विकास प्राधिकरण के सचिव को प्रेषित करेंगें।

10. आवासीय भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया, भूखण्डों का आकार, कीमत तथा लीज दर

1. विस्थापित परिवार जो आवासीय भूखण्ड के आवंटन के लिए पात्र है और जिन्होंने आवेदन किया है उनकी सूची तैयार की जायेगी तथा उपलब्ध आवासीय भूखण्ड भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के आधार पर न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

2. एक विस्थापित परिवार को सामान्यतः 90 वर्गमीटर तक का आवासीय भूखण्ड आवंटित किया जायेगा, लेकिन ऐसे किसी भूखण्ड का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर से अधिक का नहीं होगा।

3. आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड का क्षेत्रफल यदि 60 वर्गमीटर तक है तो भूखण्ड की कीमत उस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत होगी और यदि भूखण्ड का आकार 60 वर्गमीटर से अधिक लेकिन 90 वर्गमीटर तक है तो भूखण्ड की कीमत उस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत होगी। यदि भूखण्ड का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर से अधिक है तो 90 वर्गमीटर से अधिक के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर शत–प्रतिशत आरक्षित दर के आधार पर गणना कर भूखण्ड की कीमत आवंटी से वसूल की जायेगी।

4. आवासीय भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर होगा। लीज रेन्ट आवंटन दर के आधार पर ही देय होगा। भूखण्ड के आवंटन की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष लीज राशि भूखण्ड का कब्जा आवंटी को सौपने की तिथि से देय होगी। प्रतिवर्ष की लीज राशि मार्च में जमा करानी होगी। यदि आवेदक द्वारा 8 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त अग्रिम जमा करायी जाती है तो ऐसी स्थिति में भूखण्डधारी लीज रेन्ट जमा कराने से भविष्य में मुक्त माना जायेगा ।

11. भूखण्ड आवंटन के लिए सामान्य शर्तें

1. आवंटित आवासीय भूखण्ड का कब्जा आवंटी को दिये जाने से पूर्व आवंटी के द्वारा तीस दिवस में भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा कराना आवश्यक होगा । तीस दिवस में राशि जमा नहीं होने पर नगरीय निकाय के द्वारा राशि जमा कराने हेतु तीस दिवस का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा । उक्त 60 दिवस की अवधि पश्चात् अगले दस महिने में राशि जमा कराने पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज आवंटी द्वारा देय होगा । आवंटी द्वारा कुल एक वर्ष की अवधि में भी राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा । भूखण्ड के स्वतः निरस्तीकरण को बहाल करने का निर्णय गुणावगुण के आधार पर नगरीय निकाय के द्वारा तीन वर्ष अवधि के भीतर किया जा सकेगा लेकिन भूखण्ड का निरस्तीकरण तभी बहाल माना जायेगा यदि आवंटी भूखण्ड की मूल राशि + ब्याज (आवंटन तिथि के 60 दिवस पश्चात् 9 प्रतिशत वार्षिक दर से) + शास्ति (भूखण्ड की मूल राशि की 5 प्रतिशत वार्षिक दर से राशि) पूर्णतया नगरीय निकाय में जमा करवा देवें । इस अवधि के पश्चात् निरस्त भूखण्ड की बहाली पर विचार नही किया जा सकेगा । ऐसे निरस्त भूखण्ड को अन्य विस्थापित पात्र परिवार को आवंटित कर दिया जायेगा और यदि कोई पात्र विस्थापित परिवार नही है तो नीलामी के जरिये नगरीय निकाय के द्वारा उस भूखण्ड को निस्तारित किया जा सकेगा ।

2. विस्थापित परिवार के द्वारा आवासीय भूखण्ड केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लाया जायेगा। आवासीय से भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लाने पर भूखण्ड का आवंटन नगरीय निकाय के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा और भूखण्ड का कब्जा नगरीय निकाय के द्वारा ले लिया जायेगा जिसका मुआवजा या कीमत नगरीय निकाय के द्वारा देय नहीं होगी। यदि ऐसे निरस्त भूखण्ड पर कोई निर्माण या विकास कार्य आवंटी या अन्य के द्वारा कर लिया गया है तो निर्माण/विकास कार्य सहित भूखण्ड का कब्जा नगरीय निकाय के द्वारा वापिस ले लिया जायेगा और इसका कोई मुआवजा या कीमत नगरीय निकाय के द्वारा देय नही होगी । आवंटन निरस्त किये जाने से पूर्व आवंटी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नगरीय निकाय के द्वारा कम से कम सात दिवस का नोटिस दिया जायेगा।

3. आवंटित भूखण्ड या उसके किसी भाग का आवंटी के द्वारा किसी अन्य को दस वर्ष तक हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। अन्य को हस्तांतरण यदि इस अवधि में किया जाता है तो अवैध एवं शून्य माना जायेगा और ऐसा पाया जाने पर संपूर्ण भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। लेकिन मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को भूखण्ड हस्तांतरित माना जायेगा, जो मान्य होगा।

4. आवंटित भूखण्ड का आवंटन तिथि के दस वर्ष पश्चात् आवंटी द्वारा अन्य को आवासीय प्रयोजनार्थ हस्तांतरण किया जा सकेगा लेकिन हस्तांतरण (विधिक उत्तराधिकारी से भिन्न हस्तांतरण) पर लीज रेन्ट की 25 प्रतिशत राशि, प्रति वर्ष की दर से अथवा अग्रिम 8 गुणा एक मुश्त की दर के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, भूखण्डधारी से नगरीय निकाय द्वारा वसूलनीय होगी ।

5. आवासीय भूखण्ड पर तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवासीय इकाई का निर्माण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नगरीय निकाय के द्वारा सात दिवस का नोटिस आवंटी को दिया जाकर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। नगरीय निकाय के द्वारा स्कीम/योजना, जहां पर ऐसे आवासीय भूखण्ड आवंटित किये गये है, में यदि आधारभूत बाह्य विकास कार्य नहीं कराये गये है तो आवंटी द्वारा इस शर्त की पालना तब तक आवश्यक नहीं होगी जब तक कि उस स्कीम/योजना में सडक, पानी एवं बिजली जैसे न्यूनतम आधारभूत बाह्य विकास कार्य पूर्ण नहीं हो जाते और उक्त तीन वर्ष की अवधि आधारभूत बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने की तारीख से प्रारम्भ मानी जायेगी।

   उक्त प्रकार से गणना की गई तीन वर्ष की निर्माण अवधि को नगरीय निकाय के द्वारा आवंटी की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके आवेदन पर दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

6. आवंटित भूखण्ड जिन शर्तों के अन्तर्गत आवंटित किया गया है उन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा और आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। आवंटन निरस्त किये जाने से पूर्व आवंटी को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए कम से कम सात दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।

7. भवन निर्माण स्वीकृत टाईप डिजाईन के अनुसार होगा।

8. शेष शर्ते, जो इस नीति के अन्तर्गत वर्णित नहीं है, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार मानी जायेगी।

नोटः–

1. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती हैं।
2. एक आवेदक किसी एक ही वर्ग के भूखण्ड पंजीकरण कें लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक में आवेदन करने पर दोनों ही आवंटन पत्र निरस्त कर दिए जायेगें तथा पंजीयन राशि जब्त की ली जायेगी ।
3. कॉर्नर के भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नही किये जायेंगे।

12. आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि

भूखण्ड का आकार विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 4 पर देखें

क्र. सं.	प्लाट की साईज व व.मी. से अधिक न हो	भूखण्ड टाईप	वसूली योग्य दर	प्रस्तावित देय पंजीकरण राशि
1	60 वर्गमीटर तक	C	आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत (2294.50 प्र.वर्गमी.)	5,000/-
2	61 से 90 वर्गमीटर तक	A,B	आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत (4589 प्र.वर्गमी.)	10,000/-
3	91 से 100 वर्गमीटर तक	D	आरक्षित मूल्य पर (9178 प्र.वर्गमी.)	15,000/-

1. चालान द्वारा सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से केवल बैंक ड्राफ्ट /पे–आर्डर जो जोधपुर में देय हो के माध्यम से ही जमा करायी जा सकती है। नकद/चैक स्वीकार नही होंगें।
2. पे–आर्डर/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पता, फार्म संख्या, आयवर्ग व आरक्षण श्रेणी तथा संपर्क केन्द्र दूरभाष नं. आवश्यक रूप से अंकित करें।
3. असफल आवेदकों की पंजीयन राशि उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी जिसके लिए आवेदक को उसके बैंक खाते का हस्ताक्षर शुदा निरस्त एक चैक जमा कराना आवश्यक है।

13. मांगी गई राशि के भुगतान की प्रक्रिया

पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात शेष बकाया राशि आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर नकद एक मुश्त जमा करानी होगी।

नोट

1. राशि जमा करवाने की अवधि आवंटन पत्र प्राप्ति के दिन से प्रारंभ होगी अतः आवंटन पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर पर तिथि अंकित करें व डाक का लिफाफा भी साक्ष्य हेतु संभाल कर रखें।
2. भूखण्ड आवंटित होने के पश्चात, आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवंटी भूखण्ड लेने का इच्छुक नही है तो उसकी पंजीकरण जब्त की जावे ।

14. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज

1. सफल आवेदकों की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकरण आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. असफल आवेदक द्वारा अपनी जमा राशि 90 दिवसों की समयावधि में प्राप्त कर लेना आवश्यक है, प्राधिकरण के आवेदन राशि जमा करने एवं असफल आवेदनकर्ता को राशि लौटाने हेतु MOU अनुसार ICICI Bank को अधिकृत किया गया है। निर्धारित अवधि में आवेदन राशि वापस प्राप्त नहीं होती है तो उक्त बैंक से पत्राचार करें तथा राशि नहीं लौटाने पर प्राधिकरण को अवगत करवाना होगा। विलम्ब के लिए स्वयं आवेदक जिम्मेदार रहेगा।
3. असफल आवेदकों को लॉटरी की तिथि से छः माह तक कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलंब होने पर प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

15. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा योग्य राशि

1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प1(8)/नविवि/जयपुर/2017 दिनांक 5.10.2018 के बिन्दु सं. 4.4 के अनुसार आपको निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबंदी (अरबन असेसमेन्ट) अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रिम रूप से प्रति वर्ष 31 मार्च तक जमा करवानी होगी। शहरी जमाबंदी आवंटन दर की 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की जमाबंदी की राशि अग्रिम जमा करवानी होगी इस राशि के प्रतिवर्ष के भुगतान से मुक्त होने के लिये 2.50 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी।
2. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय समय पर जो भी कर, किराया तय करती है वह आवेदक पर भी लागू होगा। आवेदक पर राज्य सरकार एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर प्रसारित नियम आदेश भी लागू होंगें।
3. स्थल मानचित्र कें 100/–रू भूखण्ड की कीमत के अलावा जमा करवाने होगें।

16. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते

1. एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये या एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है। ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुए सभी आवेदन पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. यदि आवेदक स्वयं, पत्नि पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन नही किये जायेंगे व जमा राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी । आवंटित जिस सदस्य का भूखण्ड आप रखना चाहते है उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करवानी होगी एंव एक ही भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र देना होगा।
3. भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेंगें।
4. आवंटित भूखण्ड या उसके किसी भाग का आवंटी के द्वारा किसी अन्य को दस वर्ष तक हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। अन्य को हस्तांतरण यदि इस अवधि में किया जाता है तो अवैध एवं शून्य माना जायेगा और ऐसा पाया जाने पर संपूर्ण भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। लेकिन मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को भूखण्ड हस्तांतरित माना जायेगा, जो मान्य होगा।
5. आवंटी को लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वंय वहन करना होगा एंव पंजीयन विभाग के परिपत्र के अनुसार पट्टा जारी होने की दिनांक से 02 माह के अंदर पंजीयन करवाना होगा।
6. आवासीय भूखण्ड पर 3 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। परन्तु प्रचलित नियमानुसार राशि जमा करवाने की स्थिति में स्वतः निरस्तीकरण प्रत्याहरित कर भूखण्ड का नियमन किया जा सकेगा।
7. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा अन्य किसी प्रायोजन में नही। आंवटन किये गये भूखण्ड का पुनःविभाजित अथवा एक से अधिक भूखण्ड को मिला कर एक बडा भूखण्ड नही बनाया जा सकता है।
8. आवंटित भूखण्ड की संपूर्ण राशि एवं बकाया लीज राशि जमा होने के पश्चात भूखण्ड का कब्जा आवंटी को दिया जायेगा और कब्जा सौंपने के तुरन्त पश्चात (अधिकतम 15 दिवस) लीज डीड आवंटी के पक्ष में जारी किया जायेगा और लीज डीड के पंजीयन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत विधिवत् पंजीयन होने के पश्चात आवंटी को सौंपा जायेगा ।
9. आवासीय भूखण्ड के आवंटन के पश्चात यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि भूखण्ड का आवंटन आवंटी के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर या तथ्यों का छुपाते हुए या फर्जी प्रमाणों के आधार पर करवाया गया है तो भूखण्ड का आवंटन अवैध एवं शून्य मानते हुए नगरीय निकाय के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा । ऐसे भूखण्ड को उस पर यदि कोई निर्माण आदि है, के सहित नगरीय निकाय के कब्जे में ले लिया जायेगा जिसके बदले भूखण्ड एवं निर्माण, यदि कोई हो, की कीमत

या मुआवजा नगरीय निकाय के द्वारा देय नही होगा । लेकिन निरस्तीकरण की कार्यवाही से पूर्व आवंटी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कम से कम सात दिवस का नोटिस दिया जायेगा ।

10. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि मात्र प्राप्त होने से प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

11. योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्ड के आंतरिक विकास समतलीकरण सफाई आदि के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा।

12. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर ही रहेगा।

13. इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओ से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगा, इस हेतु प्राधिकरण द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने वाले बैंको/वित्तीय संस्थानो से त्रिपक्षीय अनुबंध किया जा सकेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है त्रिपक्षीय अनुबंध प्राधिकरण द्वारा नियत प्रारूप में ही मान्य होंगें।

14. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण व विकास के लिये एकीकृत भवन अधिनियम 2017, पर्यावरण स्वीकृति में लगायी गई शर्तो एंव समय समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण के निर्देशो की पालना बाध्यकारी होगी।

15. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा।

16. कृपया चालान की सभी प्रतियों में आपसे संबंधित जानकारी आवश्य भरें।

17. आवेदन पत्र में आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो स्वप्रमाणित कर चिपकाना आवश्यक है।

18. इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये है। अधिकारी श्रेणी व पद भी प्रारूप में दर्शाये गये है। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कृपया याद रखिये आप न तो भूखण्ड की वर्ग/माप के चयन को बदल सकते है और न ही अपूर्ण या बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करें, अथवा अंगुठे का निशान आवश्यक रूप से लगाये।

19. भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को आवश्यक रूप से भिजवायें

17.आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि

जोधपुर शहर में व अन्य शहरों में ICICI Bank बैंक शाखाओ की सूची

Name	Address	IFSC Code	MICR Code
Jodhpur-Jaljog	ICICI Bank Ltd, Plot No. 10,11, Refugee Colony Sindhi Colony, Near Jaljog Circle Jodhpur	ICIC0000167	342229002
Jodhpur-Saraswati Nagar	ICICI Bank Ltd, Shop No 149,150,151, District Shopping Center, Saraswati Nagar Basni, Jodhpur, Rajasthan	ICIC0000800	342229004
Jodhpur-Army Area	ICICI Bank Ltd, Konark Shopping Centre, Inside Konark Regimental Institute,Jodhpur	ICIC0002177	342229017
Jodhpur-Akhaliya Circle	ICICI Bank Ltd, Jasoda Tower Plot No. A65 To 69, Akhaliya Vikas Yojna Jodhpur, Rajasthan	ICIC0002197	342229018
Jodhpur-Pal Road	ICICI Bank Ltd, Near Passport Office Pal Road, Jodhpur, Rajasthan.	ICIC0004247	342229019
Jodhpur-Nehru Nagar	ICICI Bank Ltd, Adarsh Vidya Mandir Kamla Nehru Nagar, Jodhpur	ICIC0006825	342229011

Jodhpur-AVM School	ICICI Bank Ltd, Adarsh Vidya Mandir School, Saraswati Nagar, Jodhpur	ICIC0006826	342229012
Jodhpur-CHB	ICICI Bank Ltd, 18E/173A, Chopasani Hsg.Board, Jodhpur	ICIC0006827	342229013
Jodhpur-Mandi Yard	ICICI Bank Ltd,Plot no. 15/5, Veer Durga Das Colony, Paota C Road Jodhpur	ICIC0006828	342229015
Jodhpur-Nai Sarak	ICICI Bank Ltd, 163, Nai Sarak,Jodhpur	ICIC0006829	342229004
Jodhpur-Lal Sagar	ICICI Bank Ltd, Hanvant Adarsh Vidya Mandir School Lal Sagar Jodhpur	ICIC0006830	342229008
Jodhpur-High Court Road	ICICI Bank Ltd, High Court Road,Jodhpur	ICIC0006831	342229005
Jodhpur-Boranada	ICICI Bank Ltd, S-1 & S-2, RIICO Ind. Area, Phase III, Boranada,Jodhpur	ICIC0006832	342229006
Jodhpur-Shastri Nagar	ICICI Bank Ltd,271/19-20 Near ITI Circle, Shastri Nagar Jodhpur-342003	ICIC0006833	342229010
Jodhpur-Grain Mandi	ICICI Bank Ltd, J/12,Mandore Road Main Grain Mandi,Jodhpur	ICIC0006834	342229007
Jodhpur-Sardarpura	ICICI Bank Ltd, 3Rd A Road, Sardarpura Jodhpur	ICIC0006835	342229009
Jodhpur-Tanwara	ICICI Bank Ltd., Dharlaxmi Mart	ICIC0007469	342229509
Jodhpur-Nandwan	ICICI Bank Ltd.,Near Bhawani Hospital Nandwan, Teh. Luni, Jodhpur	ICIC0007413	342229508

नोटः आवेदन पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की वेबसाइट www.jodhpurjda.org से पुस्तिका 100 रू. शुल्क जमा करवाकर डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पुस्तिका में संलग्न आवेदन प्रपत्र भर कर उपरोक्त ICICI बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाये जा सकते है।

18. वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रो की प्रारम्भिक जांच में निरस्त आवेदन पत्रो के आवेदको की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रो की आवंटन से पूर्व मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जावेगी। लॉटरी के बाद मात्र सफल आवेदको के आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच की जावेगी। जांच आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी । योजना से संबंधित जानकारी समय समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट www.Jodhpurjda.org पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निणर्य/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाईट का अवलोकन समय समय पर करते रहें।

19. कंट्रोल रूम

योजना के संबंध में पूछताछ हेतु दूरभाष नं. 0291-2656355, 2656356 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन पत्र इस पुस्तिका के साथ में दिया गया है और यह पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अधिकृत बैंको की शाखाओं से प्रस्तावित 100/- रूपये नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है।

20. आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2021 तक बैंक कार्य समय में उल्लेखित बैंको की शाखाओ में जमा करवाये जा सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर कोई विचार नही किया जायेगा।

21. आवेदन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो पंजीकरण राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी इस हेतु आवेदक को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नही किया जायेगा।

22. भूखण्ड का आवंटन

आवेदको को उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों के वर्ग के अनुसार लॉटरी निकाली जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। जो अंतिम एंव मान्य होगा। लॉटरी निकालने की प्रस्तावित दिनांक का समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करने की व्यवस्था की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्य नही होगा।

कृपया आवेदन पत्रों में आपका एवं आपके पिता/पति का नाम और पता स्पष्ट एवं बडे अक्षरों में लिखे। संयुक्त नाम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेंगें।

23. ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

आवेदन करने से पूर्व पया योजना की निर्देशिका को भली-भांति पढ़ व समझ ले तत्पश्चात् आवेदन निम्नानुसार प्रारम्भ करे-

1. सर्वप्रथम विभाग की वेबसाइट www-jodhpurjda-org खोले तथा उसमे विनोबा भावे नगर आवासीय योजना पर क्लिक करे।
2. आवेदक को योजना का विवरण दिखेगा तत्पश्चात् आवेदक योजना पर क्लिक करे।
3. ऑनलाइन आवेदन में आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लॉग-इन आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। जिसका ONE TIME PASSWORD (OTP) आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा।
4. सर्व प्रथम आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी जिसके अंतर्गत निम्न विवरण भरें-

   आवेदक की श्रेणी

   आवेदक को अपना नाम

   पिता/ पति का नाम

   जन्म तिथि

   पेन कार्ड संख्या

   आधार कार्ड संख्या

   जन आधार कार्ड संख्या

   पत्र व्यवहार का पता/ स्थाई पता

   आवेदक का व्यवसाय
5. उसके पश्चात् आवेदक को वार्षिक सकल आय (स्वयं, पति/पत्नि, आश्रित की सकल आय) का विवरण भरना होगा।

जोधपुर महानगर बनने की ओर अग्रसर
जोधपुर विकास प्राधिकरण का योगदान हर कदम पर।

विनोबा भावे नगर आवासीय योजना
के मुख्य आकर्षण

- जैसलमेर बाईपास पर स्थित है।
- राजीव गाँधी नगर आवासीय योजना, रामराज नगर आवासीय योजना के समीप ।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना (अफोर्डेबल) के समीप

विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
- फुटवियर डिजाइन व डवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट
- सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय
- उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र
- भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र
- शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र

प्राधिकरण की परियोजनाएँ

- विज्ञान नगर आवासीय योजना
- मण्डलनाथ आवासीय योजना
- ई–ऑक्शन लागू
- GIS मेपिंग व्यवस्था
- रिक्तिया भैरूजी मल्टीलेवल ओवरब्रिज
- सारण नगर आर.ओ.बी. निर्माण
- फाईल मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू
- अरणा विहार आवासीय योजना
- झरणा विहार आवासीय योजना
- मुख्यमंत्री जनआवास योजना

Printed by Shanta Printers & Stationars, Jodhpur # 0291-2755321